तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कानाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर। धारा 136 प्रकरण सख्या 66/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.10.2023		

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमे प्रार्थी ग्राम लूणावास खारा का निवासी है प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 621/1 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा अर्थात 1.4002 हैक्टर एवम् खसरा नम्बर 622 रकबा 17 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी एवम् खसरा नम्बर 621/2 वाके ग्राम लूणावास खारा पटवार क्षेत्र लूणावास खारा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आई हुई जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे ग्राम लूणावास खारा के खसरा नम्बर 621/1, 621/2 एवम् 622 के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम दर्ज कलाराम पुत्र भाकरराम के स्थान पर शुद्व किया जाकर कानाराम पुत्र भाकरराम जाति राईका किये जाने का निवेदन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया। प्रकरण मे तहसीलदार झंवर से रिपोर्ट वास्ते तहरीर जारी की गई।

उक्त प्रकरण मे तहसीलदार झंवर से रिपोर्ट तलब की जिस पर तहसीलदार झंवर ने अपने पत्रांक/भू.अ/2023/1327 दिनाक 16.03.2023 के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई जो सलग्न पत्रावली है। प्रकरण मे बहस अधिवक्ता की सूनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार झंवर द्वारा उक्त प्रकरण मे ग्राम लूणावास खारा के खसरा नम्बर 621/1, 621/2 एवम् 622 मे प्रार्थी खातेदार कानाराम पुत्र भाकरराम देवासी का खातेदार मे कलाराम पुत्र भाखरराम दर्ज होना व प्रकरण के सम्बन्ध मे विशेष तथ्यो/साक्ष्य के आधार पर कोई अनुशषा तहसीलदार झवर द्वारा नही की गई जिसके आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता हैं।

तहसीलदार झवर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के लिए कोई साक्ष्य/तथ्यो का हवाला अपनी रिपोर्ट मे अनुशषा नही की गई ओर न ही ऐसे कोई दस्तावेज पेश किये गये जिसे प्रतीत होता है कि प्रार्थी कानाराम व कलाराम एक ही व्यक्ति हो इन तमाम परिस्थितियो मे यह स्थिति स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नामान्तरकरण सख्या 354 के द्वारा किया गया जिसके आधार पर आज दिनांक तक राजस्व रेकर्ड मे संधारित हो रहा है किसी भी रूप मे लिपीकीय त्रुटि यह सहवन मे की त्रुटि नही मानी जा सकती है। तथा कानूनी तौर पर भी धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का क्षेत्र सिमित है इन परिस्थितियो मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाने योग्य है ।

अतः–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लणी

Scanned by CamScanner